न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

<u>प्रकरण संख्या– अपील डिक्री/टीए/3948/2006/हनुमानगढ</u>

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ

–अपीलार्थी

–बनाम–

1– अमरसिंह पुत्र प्रेमसुख (मृतक) जरिये वारिसान–
1/1– मु0 सरस्वती बैवा अमरसिंह
1/2– जगदीश पुत्र अमरसिंह
1/3– राजेन्द्र पुत्र अमरसिंह
1/4– ओमप्रकाश पुत्र अमरसिंह
2– बनवारीलाल पुत्र दाताराम
3– भूपसिंह पुत्र दाताराम
4– कृष्ण पुत्र बलवन्त सिंह
5– सुभाष पुत्र बलवन्त सिंह
6– हरीसिंह पुत्र पूर्णसिंह
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम करनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

–प्रत्यर्थीगण

<u>खण्डपीठ</u>
श्री अजीत सिंह राजावत, सदस्य
श्री राजेश कुमार दडिया, सदस्य

उपस्थित–
श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अति0 राजकीय अधिवक्ता
श्री एन.के. गोयल, विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

–निर्णय–

दिनांकः– 23–01–2026

अपीलार्थी राज्य पक्ष ने हस्तगत् द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा अपील संख्या–327/2003 बउनवानी राजस्थान सरकार

बनाम अमरसिंह वगै0 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29–04–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या–1 ता 5 द्वारा एक राजस्व वाद अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या– 6 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भादरा के न्यायालय के समक्ष घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करते हुए कथन किया कि ग्राम करनपुरा स्थित आराजी खाता संख्या– 188/171 के खसरा नंबर 63 रकबा 60 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से 25.13 बीघा भूमि खातेदारी में दर्ज हो चुकी है और शेष 34 बीघा 17 बिस्वा भूमि गैरखातेदारी में दर्ज है। अतः बाहमी बंटवारे व कब्जे काश्त के अनुसार खातेदारी प्रदान किए जाने की मांग की गई। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। दौराने वाद वादी संख्या–1 की मृत्यु हो जाने से वादी संख्या – 1 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया तथा दौराने वाद कार्यवाही वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या–1 के मध्य राजीनामा हो जाने से दिनांक 20–11–2001 को आराजी जैर बाबत् राजीनामा तस्दीक कर पेश किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा राजीनामें के आधार पर एवं प्रतिवादी संख्या – 2 के जवाब के उपरान्त वादीगण का वाद निर्णय दिनांक 31–05–2002 के माध्यम से राजीनामें के अनुसरण में डिक्री कर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या–2/अपीलार्थी राज्य पक्ष द्वारा प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 29–04–2006 से अपीलार्थी राज्य पक्ष की प्रथम अपील को मियाद बाहर एवं सारहीन होने के आधार पर खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थी राज्य पक्ष द्वारा हस्तगत् द्वितीय अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– विद्धान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपने अपील मीमों में वर्णित तर्को की पुनरावर्ती करते हुए सर्वप्रथम कथन किया कि वादग्रस्त भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभाव में आने के समय वादीगण का कब्जा नहीं रहा है तथा इस तथ्य को वादीगण दस्तावेजी साक्ष्यों के माध्यम से साबित भी नहीं कर पाये है।

इसलिए वादी द्वारा राजीनामें की आड़ में समस्त भूमि का हस्तान्तरण अपने हक में करवा लिया जो काबिल निरस्तनीय है। राजीनामा केवल मात्र मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क बचाने के लिए किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किए बिना राजीनामें के आधार पर गैर खातेदारी भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान करते हुए वादपत्र को डिक्री किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का भी भलीभांति अवलोकन नहीं किया गया है इसी प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी प्रथम अपील को विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर खारिज किया गया है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा राजस्व रिकार्ड के विपरीत जाकर आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित किय गये है। अतः अपील अपीलार्थी राज्य पक्ष की हस्तगत् द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व डिक्री को अपास्त किया जावे।

5– विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् वादी/प्रत्यर्थी संख्या– 1 ता 5 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत करते हुए आराजी जैर के बाबत् अपने खातेदारी अधिकारों की मांग इस आधार पर की गई थी कि वादग्रस्त भूमि सहखातेदारी की भूमि है जिसमें सभी सहखातेदारों का हक व हिस्सा है दौराने वाद वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या– 1 के मध्य राजीनामा हो जाने से दिनांक 20–11–2001 को आराजी जैर बाबत् राजीनामा तस्दीक कर पेश किए जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा राजीनामें के आधार पर निर्णय व डिक्री दिनांक 31–05–2002 पारित किया। प्रकरण में चूंकि यह स्वीकृत स्थिति है कि आराजी जैर प्रत्यर्थीगण के पूर्वज पूरण वल्द श्योलाल के नाम दर्ज रिकार्ड भूमि रही है। राजस्व रिकार्ड की उक्त स्थिति को दृष्टिगत् रखते हुए ही अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा नियमानुसार राज्य पक्ष का जवाबदावा प्राप्त करने के उपरान्त पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामें एवं राजस्व रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात् वादपत्र को डिक्री करते हुए आराजी जैर का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। जवाबदावे में केवल मात्र यह अंकित किया गया है कि दावा स्वीकार नहीं है और वाद के अभिवचनों को विर्निदिष्टतः इंकार किया है जो वादी के वादपत्र की स्वीकृति के समान है। प्रकरण में राज्य पक्ष द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष मियाद बाहर अपील पेश किये जाने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय राज्य पक्ष की अपील को मियाद के बिन्दु एवं अपील को सारहीन मानते हुए खारिज किया गया है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री समवर्ती है तथा हस्तगत्

द्वितीय अपील के माध्यम से ऐसा कोई नवीन तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके आधार पर उन्हें कोई राहत प्रदान की जा सके। अतः अपीलार्थी राज्य पक्ष द्वारा प्रस्तुत हस्तगत् द्वितीय अपील को खारिज की जावे।

6– विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं परिशीलन किया गया।

7– प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा अपील में मुख्य आधार यह लिया गया है कि आराजी जैर पूर्णतया पूरण की खातेदारी/गैरखातेदारी की भूमि थी, जिसका जरिए राजीनामा परिवार के अन्य सदस्यों में वाद के माध्यम से हस्तांतरण हुआ है। जिससे राज्य पक्ष को पंजीयन शुल्क के रूप में राजस्व हानि हुई है अर्थात् खातेदार की भूमि का हस्तांतरण दावे के माध्यम से नहीं हो सकता है। इस संबंध में पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों यथा जमाबंदी संवत् 2008–2011 का अवलोकन किया जिसके अनुसारं खसरा नंबर 375 व 519 एवं खसरा नंबर 20 की भूमि वादीगण/प्रतिवादी के पूर्वज श्योलाल वल्द रामसहाय के नाम बतौर खातेदारी दर्ज रही है और वादग्रस्त भूमि का वादपत्र में वर्तमान में खसरा नंबर 63 बताया हुआ है जिसकी पुष्टि बंदोबस्त विभाग द्वारा जारी ग्राम करनपुरा तहसील भादरा के दस्तावेज यथा मिलान क्षेत्रफल (खसरा मिलान) संवत् 2019 के द्वारा होती है जिसके मुताबिक खसरा नंबर 63 रकबा 60 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 519 मिन, 527 मिन से बने है तथा उक्त दस्तावेज में पूरण वल्द श्योलाल को वादग्रस्त भूमि का एलोटी गैर खातेदारी बताया गया है तथा अंतिम कॉलम (विशेष विवरण) में श्योलाल फौत हो चुका है, अंकित है, जिससे उक्त भूमि वादीगण/प्रतिवादी के पूर्वज श्योलाल की होना साबित होता है। जब भूमि पूर्व में वादीगण/प्रतिवादी संख्या–1 के पूर्वज श्योलाल के नाम दर्ज रही है और कालांतर में यदि उक्त भूमि अकेले पूरण के नाम दर्ज रिकार्ड हुई तो उसकी रिकार्ड दुरूस्ती संभव है। वादग्रस्त आराजी प्रारंभ से ही पूरण के नाम रही हो, ऐसा प्रकट नहीं होता है और राजस्व दस्तावेज जो प्रस्तुत हुए है उनसे उक्त भूमि पूरण के पिता श्योलाल के नाम दर्ज होना साबित होता है और श्योलाल के वारिसों द्वारा राजीनामें के आधार पर डिक्री प्राप्त की गयी है। इसलिए आराजी जैर से राज्य सरकार को कोई राजस्व हानि होना प्रकट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् तरीके से राजीनामें के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया है तथा जिसकी पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा की

गई है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8– परिणामतः अपीलार्थी राज्य पक्ष द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा अपील संख्या–327/2003 बउनवानी राजस्थान सरकार बनाम अमरसिंह वगै0 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29–04–2006 एवं उपखण्ड अधिकारी, भादरा द्वारा प्रकरण संख्या 356/1991 बउनवानी अमर सिंह आदि बनाम हरीसिंह आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–05–2002 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार दड़िया)
सदस्य

(अजीत सिंह राजावत)
सदस्य